



जवाहर नवोदय विद्यालय भोगाँव, जनपद-मैनपुरी -205262(उ0प्र0)

निविदा प्रपत्र

दिनांक :

पत्रांक: 1-9/जनविमै/2017-18/

निविदा प्रपत्र मूल्य-500/-

सेवा में,

.....
.....
.....

विषय : जवाहर नवोदय विद्यालय भोगाँव, मैनपुरी के लिए वित्त वर्ष 2017-18 में की आपूर्ति हेतु निविदा प्रपत्र।

उपर्युक्त संबंध में नवोदय विद्यालय समिति लखनऊ संभाग के अधीनस्थ जवाहर नवोदय विद्यालय, मैनपुरी हेतु मोहरबंद लिफाफे में दिनांक:-03-02-2018 से 12-02-2018 तक संलग्न सूची के अनुसार वस्तुओं की आपूर्ति हेतु निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निर्धारित निविदा प्रपत्र पर विधिवत् भरी हुई निविदा, निर्धारित धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट सहित सीलबंद लिफाफे में जवाहर नवोदय विद्यालय भोगाँव, मैनपुरी के प्राचार्या के नाम से पंजीकृतडाक द्वारा अथवा टेण्डर बॉक्स में दिनांक:-19-02-2018 सायं 4:00 बजे तक पहुंचने पर स्वीकार की जायेगी। लिफाफे के ऊपर बांयी ओर स्पष्ट शब्दों में निविदादाता के नाम, पते एवं फोन नं0 के साथ ऊपर प्रस्तावित सामग्री आपूर्ति हेतु निविदा लिखा होना चाहिए। दिनांक:-21-02-2018 को विद्यालय में प्राप्त हुई निविदाओं को प्राचार्या, जवाहर नवोदय विद्यालय भोगाँव, मैनपुरी के कार्यालय में क्रय परामर्श दात्री समिति की बैठक में खोलकर निर्णय लिया जायेगा।

निविदा हेतु निर्धारित सामान्य शर्तें :-

- निविदायें निविदा फार्म की शर्तों जिनका उल्लेख इस फार्म में किया जा रहा है, के अनुसार भरी जानी चाहिए तथा निविदा दाता को निविदा में निहित सभी शर्तों के साथ क्रमांक 25 के अनुपालन में शर्तों की सहमति पर यथास्थान अपने हस्ताक्षर एवं अन्य विवरण अंकित करने चाहिए।
- निविदा में दर्शायी गई दरें सभी कर सहित जैसे वैट/बिक्री कर, उत्पादन शुल्क तथा अन्य कर सहित होनी चाहिए तथा एफ0ओ0आर जवाहर नवोदय विद्यालय भोगाँव, मैनपुरी होना चाहिए। किसी भी दशा में वस्तु का मूल्य वस्तु पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए।
- निविदा फार्म में अंकित वस्तु व उनके मूल्यों में कोई काट छांट नहीं होनी चाहिए। यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन करना आवश्यक हो तो साफ तरीके से किया जाना चाहिए तथा परिवर्तन पर हस्ताक्षर व दिनांक का उल्लेख होना चाहिए।
- अधोहस्ताक्षरी किसी भी निविदा को स्वीकृत करने अथवा बिना कारण बताये उसे निरस्त करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। वह न्यूनतम दर वाली निविदा को ही स्वीकृत करने के लिए बाध्य नहीं है। बजट के अनुसार गुणवत्ता को ध्यान में रखकर ही दरें स्वीकृत की जायेगी।
- निविदा स्वीकृत होनेके उपरान्त अधोहस्ताक्षरी और निविदा कर्ता के बीच यह निविदा प्रपत्र स्वतः एक अनुबन्ध के रूप में परिवर्तित हो जायेगा तथा निविदा दाता इस प्रपत्र में उल्लिखित सभी शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य होगा।
- निविदा के साथ संलग्न प्रपत्र में वर्णित संबंधित वस्तु हेतु निर्धारित धरोहर राशि के रूपये केवल बैंक ड्राफ्ट (चेक मान्य नहीं होगा यदि चेक किसी फर्म द्वारा संलग्न किया जाता है, तो उस निविदा को निरस्त कर दिया जायेगा) द्वारा जो प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय, भोगाँव, मैनपुरी के पक्ष में निर्गत तथा स्टेट बैंक आफ इण्डिया-भोगाँव ब्रांच कोड सं0 01127 (IFSC CODE S.B.I.N0001127) पर देय हो संलग्न करना अनिवार्य होगा। किसी भी स्थिति में धरोहर राशि के रूप में बैंक स्वीकार नहीं किये जायेंगे। जिनकी निविदा के साथ धरोहर राशि नहीं होगी उस निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। यदि सरकारी संस्थायें निविदा हेतु आवेदन करना चाहती हैं तो वह धरोहर राशि में छूट हेतु सक्षम अधिकारी से निर्गत अपने सरकारी विभाग होने का प्रमाण-पत्र संलग्न करेंगी। परन्तु फर्म को ऐसा विभागीय पत्र लगा देने मात्र से धरोहर राशि जमा न किये जाने की छूट प्राप्त नहीं होगी इसके लिए विद्यालय क्रय सलाहकार समिति का निर्णय निविदा दाता पर लागू होगा।
- जिन निविदादाताओं की निविदायें स्वीकृत होगी उनके द्वारा प्रस्तुत धरोहर राशि निविदाअवधि पूर्ण होने के बाद वापस की जायेगी। धरोहर राशि वस्तु की कुल आपूर्ति का 10 प्रतिशत होगी और सामानों के औसत मासिक आपूर्ति के आधार पर निश्चित होगी।
- निविदा दाता को आपूर्ति आदेश में निर्दिष्ट अवधि के अन्दर प्रस्तावित सामग्री की आपूर्ति करनी होगी। असफल होने पर अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि वह प्रस्तावित सामग्री की आपूर्ति अन्य स्रोत से पूर्ण कर ले तथा मूल्यों में अन्तर होने के कारण हुई कुल हानि एवं भाड़े की वसूली निविदा दाता द्वारा प्रस्तुत लम्बित बिलों से अथवा उसके द्वारा जमा धरोहर राशि से कर ले। बार-बार ऐसा करने वाली फर्म की धरोहर राशि जब्त करके उसको काली सूची में भी दर्ज किया जा सकता है।
- विद्यालय में रखे नमूनों को देखें उन्हीं नमूनों के आधार पर रेट कोट करें। निविदा फार्म में जिन वस्तुओं के लिए नमूना मांगा गया है उनका नमूना निविदादाता के हस्ताक्षर रेट एवं फर्म के नाम सहित लेकर निविदादाता को स्वयं, निविदा खोलने के समय कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। विशेष परिस्थिति में अधोहस्ताक्षरी का निविदा स्वीकृत करने के बाद भी, वस्तुओं का नमूना मांगने का अधिकार होगा तथा निविदा दाता का दायित्व होगा कि वह नमूना प्रस्तुत करें। किसी सामान के "मशीन" होने की स्थिति में उसको चलाकर दिखाया जाना अनिवार्य होगा। संदेह की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी द्वारा मशीन की ब्राण्ड एवं ऑरिजिनल्टी की जांच बाजार/मैकेनिक/अधिकृत फर्म से करायी जायेगी तथा उपयुक्त स्थिति में ही उसे स्वीकार किया जायेगा।
- आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं की जांच अधोहस्ताक्षरी/प्रतिनिधि/कमेटी द्वारा की जायेगी। यदि आपूर्ति की वस्तु स्वीकृत नमूने के अनुसार नहीं है अथवा निर्धारित निर्दिष्टीकरण के अनुसार नहीं है तो आपूर्ति को निविदा दाता द्वारा स्वयं के खर्च पर बदला जायेगा, अन्यथा की स्थिति में आपूर्ति को निरस्त कर वस्तु को खुले बाजार से क्रय कर लिया जायेगा। जिसकी क्षतिपूर्ति आपूर्ति कर्ता से की जायेगी। यह अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।
- निर्धारित एवं निश्चित समय पर ही वस्तुओं की आपूर्ति स्वीकार की जायेगी। अवकाश, रात के समय अथवा असमय आपूर्ति लाने पर स्वीकार नहीं किया जायेगा और आपूर्ति कर्ता के अनुरोध पर भी आपूर्ति सामग्री को विद्यालय में कदापि नहीं रखा जायेगा। मना करने के बाद भी आपूर्ति छोड़कर चले जाने पर उस वस्तु की कोई जिम्मेदारी स्टोर प्रभारी एवं विद्यालय की नहीं होगी।

- निविदा पत्र उन्हीं फर्मों/कम्पनियों के स्वीकार किये जायेंगे जो उस वस्तु/सामान/मशीन इत्यादि का व्यापार करते हों व भौतिक रूप से उक्त व्यवसाय वाली फर्म स्थापित हो तथा उनका बिक्रीकर पंजीकरण उस वस्तु विशेष के व्यापार करने हेतु हो। किसी भी जनरल आर्डर सप्लायर कमीशन एजेंट एवं मध्यस्थ को निविदा प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। निविदा पारण के उपरान्त भी यदि निर्धारित अवधि के दौरान पाया जाता है कि अमुक फर्म भौतिक रूप से स्थापित नहीं है तो पारित निविदा निरस्त की सकती है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
13. निविदा दाता को अपने पक्ष में प्राप्त आपूर्ति आदेश की वस्तुयें अपने स्तर से ही आपूर्ति करनी होंगी। वह उसका कोई अंश/भाग अन्य फर्म को आपूर्ति करने हेतु स्थानान्तरित नहीं कर सकता।
 14. फर्म को भुगतान करने में राशि के प्रेषण का ड्राफ्ट व्यय फर्म द्वारा वहन किया जायेगा। आपूर्ति विद्यालय में पहुंचानी होगी। इसके लिए अलग से कोई मार्ग व्यय/भाड़ा/पैकिंग चार्ज/डाक व्यय/लेवर चार्ज देय नहीं होगा।
 15. बिवादास्पद वस्तु की आपूर्ति के मामलों में भुगतान रोक दिया जायेगा तथा विवाद के निपटारे के बाद परिणाम के अनुसार ही भुगतान किया जायेगा।
 16. अगर निविदा फर्नीचर आपूर्ति के लिए है तो निविदादाता प्रत्येक फर्नीचर सामान पर धातु की प्लेट लगायेंगे जिस पर फर्म का नाम तथा आपूर्ति का वर्ष अंकित होगा।
 17. खाद्य-सामग्री, सब्जी-फल, दुग्ध-कन्फैक्शनरी आदि, प्रसाधन सामग्री, कपड़ा धुलाई-प्रेस, बाल कटिंग एवं स्टेशनरी हेतु निविदा की दरें दिनांक 01.07.2017 से 30.04.2018 तक तथा शेष निविदायें दिनांक 31.03.2018 तक के लिए ही मान्य होंगी। सब्जी एवं फल के रेट क्रमशः जुलाई से सितम्बर, अक्टूबर से दिसम्बर एवं जनवरी से अप्रैल तक के लिए प्रोफॉर्मे के अनुसार अलग-अलग भरे जायेंगे और टेंडर रेट पर बाजार सर्वेक्षण के अनुसार उक्त अवधियों हेतु क्रमशः कमेटी द्वारा निर्णय लिया जायेगा।
 18. आपूर्ति आदेश में निर्दिष्ट वस्तुओं में यदि किसी वस्तु के साथ उपहार या कोई स्क्रीम, कम्पनी उपलब्ध करा रही है तो निविदादाता उस उपहार/स्क्रीम की वस्तु को विद्यालय को उपलब्ध करायेगा तथा उसे बिल में भी दर्शायेगा परन्तु उसकी कीमत शून्य होगी। और वे उपहार में दी गई वस्तु की कीमत की मांग नहीं करेंगे। वस्तुओं की मात्रा में टीन, बोरे, टोकरी, कार्टून, डिब्बे आदि के बजन को शामिल नहीं किया जायेगा तथा उसे वापस भी नहीं किया जायेगा।
 19. आपूर्ति आदेश के अनुसार वस्तुओं की आपूर्ति न करने पर अथवा निविदा की शर्तों का उल्लंघन करने पर अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि वह धरोहर राशि को जब्त करते हुए निविदा अनुबन्ध को निरस्त कर फर्म को काली सूची में अंकित करने हेतु कार्यवाही करे।
 20. भारत सरकार के आयकर विभाग द्वारा निर्धारित आयकर की कटौती आपूर्ति कर्ता के बिल से करके आयकर विभाग को भेज दिया जायेगा।
 21. निविदा प्रपत्र अहस्तान्तरणीय होगा।
 22. सभी विवादों का न्याय क्षेत्र जनपद फिरोजाबाद होगा।
 23. निविदादाता को निविदा के साथ निम्न प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा—
अ- आयकर विभाग द्वारा जारी वर्तमान आयकर प्रमाण पत्र।
ब- निर्धारित धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट पूर्वोक्त निर्देशानुसार।
स- उपकरण, फर्नीचर आदि की आपूर्ति के लिए निर्दिष्टीकरण तथा छपा हुआ मूल्य पत्र तथा अन्य लिखित सामग्री।
द- यदि निविदादाता अनुमोदित वितरक/अधिकृत डीलर हैं तो संबंधित कम्पनियों द्वारा अनुमोदित वितरक/अधिकृत डीलर का प्रमाण-पत्र।
य- जहां लागू हो टिन बैट/बिक्री कर रजिस्टर्ड प्रमाण-पत्र की प्रति।

प्राचार्या
जवाहर नवोदय विद्यालय भोगाँव, मैनपुरी

निविदादाता का वचनपत्र

24. निविदा प्रपत्र में लिखित समस्त शर्तें हमें मान्य हैं।
25. हमन सभी शर्तें पढ़ ली हैं मैं निविदा शर्तों का अनुपालन करूँगा/करूँगी।

निविदादाता फर्म स्वामी का- नाम :हस्ताक्षर.....

फर्म स्वामी का पता :

फर्म स्वामी का पता(जहां फर्म स्थापित है।) :

पिन कोड सं० :

दिनांक : स्थान : फोन/मो० नं० :

फर्म की मोहर